उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001

–: ख़ास हिदायतें :–

हज–2017 में जाने के ख़्वाइशमंद लोगों के लिए हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने ज़रुरी हिदायतें जारी की हैं जिनका हज फार्म भरते वक़्त ध्यान रखना ज़रुरी है।

1– हज आवेदन पत्रों को दिनांक 02–01–2017 से राज्य हज समिति 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ में डाक अथवा दस्ती जमा किया जायेगा तथा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 24–01–2017 है।

2– आवेदन फार्म ऑन लाइन भी जमा किया जा सकेगा। हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट **hajcommittee.gov.in** पर भरा जा सकेगा प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा संलग्नकों एवं फोटो सहित प्रेषित किये जाएंगे। एंडरॉयड मोबाइल एप **"HAJ COMMITTEE OF INDIA"** जो प्लेस्टोर पर उपलब्ध होगा पर भी विवरण भरा जा सकेगा तथा मैनुअल प्रपत्र प्रेषित किये जाएंगे। पूर्ण रुप में भरे फार्म वेरिफिकेशन हेतु उ0प्र0 राज्य हज समिति, कार्यालय 10 ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ में डाक अथवा दस्ती निर्धारित तिथि 24–01–2017 तक प्राप्त होना आवश्यक होगा। वेरिफिकेशन के बिना ऑन लाइन जमा फार्म अपूर्ण माना जायेगा तथा उसे हज–2017 हेतु योग्य नहीं समझा जायेगा।

3– दिनांक 24–01–2017 के बाद जारी पासपोर्ट स्वीकार्य नहीं होंगे।

4– पासपोर्ट की वैद्यता दिनांक 28–02–2018 तक होना आवश्यक है। यदि वैद्यता दिनांक 28–02–2018 से पूर्व समाप्त हो रही है तो ऐसे आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

5– पासपोर्ट मशीन रीडेबल (मशीन पठित) होना आवश्यक है। हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होगें।

6– प्रत्येक आवेदनकर्ता को हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के ख़ाते में रजिस्ट्रेशन धनराशि रु0 300/– (रुपए तीन सौ) स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 35398104789 **"Haj Pilgrim Processing Fee"** या यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 318702010406010 **"Haj Processing Fee Account"** अथवा हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट **hajcommittee.gov.in** पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। पे–इन–स्लिप हज फार्म के साथ नत्थी करना अनिवार्य होगा।

7– एक कवर में न्यूनतम एक एवं अधिकतम पॉच वयस्क आवेदन कर सकते हैं साथ में एक या दो **infant** जा सकते हैं।

8– **(70 +)** के आवेदक जिन्होंने 01–01–2017 को 70 वर्ष पूर्ण कर लिये हों (02–01–1947 या उससे पूर्व जन्मे) उन्हें अपने एक साथी के साथ आरक्षित श्रेणी ए में रखा जायेगा। साथी के रुप में पति, पत्नी, भाई, बहन, लड़का, लड़की, पोता, पोती, नवासा, नवासी, दामाद, बहू, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी आवेदन कर सकते हैं। किसी एक का आवेदन निरस्त होने की दशा में दूसरे का भी आवेदन निरस्त माना जायेगा। **(70 +)** आवेदक किसी भी रुप में रिज़र्व श्रेणी में अकेला नहीं जा सकेगा। यदि सहयोगी की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर दूसरा सहयोगी आवेदन कर सकेगा।

9– जिन आवेदकों ने लगातार हज–2014, हज–2015, हज–2016 में आवेदन किया हो उनका चयन न हुआ हो या किन्हीं कारणों से वह हज पर नहीं गये हों तथा हज–2017 में भी आवेदन किया हो उन्हीं को रिज़र्व बी कैटैगरी में माना जाएगा।

10– सामान्य, श्रेणी ए व बी तथा रिपीटर (केवल महरम/साथी के रुप में) को निर्धारित प्रारुप पर हस्ताक्षरित भेजना अनिवार्य है।

11– हज आवेदक द्वारा रिहाइशी पते का प्रूफ लगाना आवश्यक होगा यदि उसकी रिहाइश पासपोर्ट में दर्ज पते से अलग नहीं है तो पासपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति, यदि पासपोर्ट में दर्ज पता भिन्न है तो– राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली/पानी का बिल, टेलिफोन बिल (लैण्डलाइन), पानी का बिल, गैस कनेक्शन, इंकम टैक्स निर्धारण पत्र, इलेक्शन कमिशन वोटर आई0कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासपबुक, सरकारी कर्मचारी का विभागीय पहचान पत्र में से कोई प्रूफ लगा सकते हैं।

12– एन0आर0आई, बार–बार विदेश जाने वाले व्यक्ति, उमराह व सरकारी व्यक्ति अथवा मेडिकल या पारिवारिक कारणों से विदेश जाने वाले आवेदकों के लिए लिखित अनुरोध करने पर पासपोर्ट जमा करने की तिथि 05–07–2017 तक बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए अनुरोध पत्र, पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति, वीज़ा आदि प्रपत्र लगाना आवश्यक होगा।

13– रिज़र्व श्रेणी के आवेदकों के लिए हज आवेदन फार्म के साथ मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य है तथा सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए हज आवेदन फार्म के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम व अन्तिम पेज की स्वहस्ताक्षरित फोटोकापी लगाना अनिवार्य है।

14– प्रत्येक ग्रुप के कवर हेड के बैंक खाते की पासबुक अथवा कैन्सल्ड चेक की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है जिससे कि कोई धनराशि वापसी आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से की जा सके।

15– सामान्य व रिज़र्व श्रेणी के स्वयं हस्ताक्षरित डेक्लेरेशन प्लेन पेपर पर निर्धारित प्रारुप के अनुसार लगाना अनिवार्य है।

16– सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फार्म में एक फोटो लगाना अनिवार्य है। रिज़र्व श्रेणी के आवेदकों को फार्म के साथ पासपोर्ट के पीछे भी एक फोटो लगाना अनिवार्य है।

17– एक कवर के हज यात्रियों को एक साथ हज यात्रा करनी होगी किसी भी दशा में कवर को बांटा नहीं जाएगा।

18– इंफेण्ट वह माना जाएगा जिसकी उम्र 10 अक्टूबर 2017 या उसके बाद 2 (दो) वर्ष पूर्ण हो रहे हों। उनको हवाई जहाज़ के पूरे किराये का 10 प्रतिशत धनराशि जैसा कि तय किया जायेगा जमा करनी होगी। 02 वर्ष से अधिक उम्र के सभी आवेदक व्यस्क माने जाएंगे और उन्हें एक व्यस्क के बराबर धनराशि जमा करनी होगी।

19– ऐसे आवेदकों के फार्म किसी भी समय निरस्त कियो जाएंगे जिन्होंने अपना पता अन्य राज्य का भरा है या एक से अधिक राज्यो से फार्म भरे हों, जिन्हों ने पूर्व में हज किया है और तथ्यों को छिपाया हो।

20– मेडिकल स्क्रीनिंग केवल चयनित हज यात्रियों को प्रथम चरण में फार्म में उपलब्ध निर्धारित प्रारुप पर कराना होगा जिसे वह प्रथम किस्त ₹ 300/– की पे–इन–स्लिप व मूल पासपोर्ट के साथ प्रेषित करेंगे। दूसरे चरण में चयनित हज यात्रियों को एक हेल्थ एवं ट्रेनिंग बुकलेट उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह अपना मडिकल इतिहास रखेंगे।

हज आवेदन फार्म ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालयों से दिनांक 02–01–2017 से प्राप्त किये जा सकते हैं, उ0प्र0 राज्य हज समिति कार्यालय में बने काउण्टर से तथा हज प्रशिक्षण सेन्टरों एवं हज समिति के सदस्यों से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट **hajcommittee.gov.in** से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है एवं फार्म ऑनलाइन भरा भी जा सकता है। हज गाइडलाइन्स व फार्म भरने का तरीक़ा वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य हज समिति